



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhapura Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

Mine Code: 38RAJ09005

संख्या : RAJ/CHT/LST-2 Vol-II

दिनांक : 17.03.2021

प्रेषित : मेसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड,

जे.के. सीमेंट वर्क्स,

कैलाश नगर- 312617, निम्बाहेरा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

ईमेल- manish.toshniwal@jkcement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Nimbahera JK Cement Limestone Mine** (M.L. 2/97, Lease area 403.1875 Hect.) in Chittaurgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 05.03.2021 by the undersigned in presence of Sh. Sohan Das Vairagi, Mine Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified Mining Plan (Approved on 06.12.2019): - (i) Mineral stacking was observed towards eastern side of Northern Pit of Murlia Block between section lines ML6 to ML7 which was not proposed in approved mining plan. (ii) Large quantity of Limestone boulders were lying all around on the benches in North Pit of Murlia Block during the inspection.
Rule 26 (2)	A yearly report to be submitted before 1 st July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitation works carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan has not been submitted to this office for the year 2019-20.
Rule 45(7)	In annual return 2019-20 following discrepancies were observed: (i) The gradewise production reported item 2 of Part VI is 742609.440 tonnes whereas ROM production reported in item 1 of Part VI is 740893.440 tonnes and opening & closing of ROM stock is 0 tonne.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(Handwritten signature)
17/03/2021

(डी. आर. गुर्जर)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर । ईमेल (८।१)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो